

## घोषणा

(पैरा-1 में संदर्भित स्थाई आदेश –कल्याण 3/2022)

में \_\_\_\_\_ पद \_\_\_\_\_

संख्या \_\_\_\_\_ एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं स्वेच्छा से दिल्ली पुलिस शहीद कोष का सदस्य बन गया हूं और समय-समय पर कोष की प्रबंध निकाय द्वारा तय की गई दर पर इस कोष को अंशदान देने के लिए सहमत हूं। अंशदान मेरे मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और निर्वाह भत्ता से काट लिया जाये। मेरी तनखाह से अक दिन (ग्रॉस सैलरी) की तनखाह कट ली जाये मैं शहीद कोष के नियमों और विनियमों से बंधा रहूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापित

लेखाधिकारी / \_\_\_\_\_ जिला/यूनिट

अनुप्रमाणित

स.पु.आ./डी.डी.ओ./ \_\_\_\_\_ जिला/यूनिट

## दिल्ली पुलिस शहीद कोष-2013 के तहत लाभ के लिए नामांकन

(जब सरकारी कर्मचारी का परिवार हो और वह उसके एक सदस्य या अधिक सदस्यों को नामित करना चाहता हो)

मैं \_\_\_\_\_ पद \_\_\_\_\_ संख्या \_\_\_\_\_

पी आई अस \_\_\_\_\_ पिता का नाम \_\_\_\_\_ एतद्वारा नीचे दिए गये मेरे परिवार के सदस्यों को नामित करता हूं जिनको दिल्ली पुलिस शहीद कोष-2013 के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जा सकने वाली किसी भी राशि को नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, सेवा के दौरान मेरी मृत्यु की स्थिति में या जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर मेरी मृत्यु तक, देय राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता/करती हूं:-

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता	सरकारी कर्मचारी से संबंध	आयु	प्रत्येक को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा	सरकारी सेवक द्वारा मृत्युपूर्व नामित किये व्यक्ति के बाद जिन व्यक्तियों को अधिकार होगा उन व्यक्तियों के नाम, सम्बन्ध व पता, यदि कोई हो

टिप्पणी:- सरकारी सेवक को अपने अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान पर एक रेखा खींच देनी चाहिए ताकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी नाम को सम्मिलित करने से रोका जा सके।

दिनांक \_\_\_\_\_ के दिन \_\_\_\_/202\_\_ नई दिल्ली में।

दो गवाहों के हस्ताक्षर:-

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर  
नाम , पद व नंबर  
पी आई अस नंबर

स्वीकृत

पुलिस उपायुक्त